भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 351
दिनांक 24.07.2024 को उत्तर देने के लिए

संवहनीय खनन

†351. श्री खगेन मुर्मुः
डॉ. आलोक कुमार सुमनः
डॉ. संजय जायसवालः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमाः
श्री धर्मबीर सिंहः
श्री विजय बघेलः
श्री विष्णु दयाल रामः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार के पास संवहनीय खनन सुनिश्चित करने के लिए कोई शासन प्रणाली है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा संवहनीय खनन पद्धतियों के लिए कितने खान संचालकों को मान्यता प्रदान की गई है?

उत्तर
कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): मौजूदा कानून के अनुसार, सभी खनिकों द्वारा सतत खनन पद्धतियों को अपनाया जाना आवश्यक है। खान मंत्रालय ने खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 के अध्याय-V के तहत प्रावधान करके सतत खनन को कार्यान्वित किया है। वायु प्रदूषण के प्रति सावधानी, विषैले तरल पदार्थ के रिसाव की रोकथाम, शोर के प्रति सावधानी, सतह धंसने के नियंत्रण आदि के लिए नियमों में प्रावधान शामिल किए गए हैं।

एमसीडीआर, 2017 के नियम 35 में खनिकों द्वारा अपनाई गई सतत खनन पद्धतियों के आधार पर खनन पट्टों की स्टार रेटिंग का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, एमसीडीआर, 2017 के नियम 35(4) के अनुसार प्रत्येक खनन पट्टा धारक खनन कार्यों के शुरू होने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम तीन-स्टार रेटिंग प्राप्त करेगा और उसके बाद वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उसे बनाए रखेगा।

पिछले तीन वर्षों में 3 स्टार एवं उससे अधिक रेटिंग वाली खानों और 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित खानों की वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	3 स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाली खानों की संख्या (क)	(क) में से 5 स्टार रेटिंग वाली खानों की संख्या
2020-21	922	40
2021-22	1040	76
2022-23	1129	68

*****